sunday pioneer
RANCHI | SUNDAY | FEBRUARY 28, 2016

JHALSA springs into mission mode with mediation programme

PNS ■ RANCHI

The Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) on Saturday started 'mediation training programme' in the Nyaya Sadan premises for experts, professionals, retired senior bureaucrats and retired senior executives. The 40-hour training programme was inaugurated by Justice DN Patel, Judge, High Court of Jharkhand and Executive Chairman, JHALSA as he also inaugurated National Lok Adalat on bank matters, 138 NI Act matters, and recovery suit among others.

As many as two experts from NALSA — Vinay Kumar Gupta (DHJS), AD & SJ Judge In-charge, Delhi Mediation Centre, Patiala House Courts,

Judge Jharkhand High Court and Executive Chairman, JHALSA Justice D N Patel speaks during the inauguration of 40-hour Mediation Training Programme at JHALSA in Ranchi on Saturday Ratan Lal | Pioneer

As many as 1678 pre and post litigation cases were disposed of total amount of ₹8,56,99,100 was settled in National Lok Adalat held across Jharkhand in all the DLSAs

New Delhi and Anupama C Narang, Advocate Trainer, Karkardooma Mediation Centre on the subject — will be imparting training to the people. The master trainers would be assisted by local three local trainers — Manisha Rani, Madhusudan Ganguli and LK Giri.

As many as 20 participants belonging to almost all walks of life such as IAS Officers, senior level retired bureaucrats, executives, professors, retired DSPs, retired Engineers, educationists, chartered accountants, clinical psychiatrists and journalists attended the mediation programme.

While extending best wishes to the participants Justice Patel noted that the success rate in the field of mediation is crossing 50 per cent in Jharkhand and there is no doubt that with enrichment of the pool of mediators by experts of different walks of life this success rate will cross 60 per cent shortly. Justice Patel said that there is no appeal against an award of Mediator, therefore, the responsibility is great and the participants have excelled in their respective field hence there is no doubt they would prove to be successful mediator. The HC Judge said that after 10 successful mediations, they would receive accreditation from the Legal Services Authority.

In his welcome address, Member Secretary, JHALSA Navneet Kumar observed that mediation has not only proved to be most successful tool for reducing the court pendency but also resolving the dispute at pre-litigation stage itself.

In the introductory session former Chief Secretary AK Singh expressed that the mediation work will enable him to give the society what is due to it. The training programme will continue for 40 hours spanning in 5 days.

In the National Lok Adalat held at JHALSA, around 54 post litigation cases were disposed of and an amount of ₹75,01,468 was settled and 79 pre-litigation matters were also disposed of and an amount of ₹1,13,25,005 was settled till 4.30pm.

As many as 1678 pre and post litigation cases were disposed of total amount of ₹8,56,99,100 was settled in National Lok Adalat held across Jharkhand in all the DLSAs.

On the occasion, Advocate General Binod Poddar, Additional Advocate General HK Mehta and Advocate Bhawesh Kumar were also present.

खबर मन्त्र
रांची, रविवार, 28 फरवरी, 2016

पांच दिवसीय मध्यस्थता प्रशिक्षण शुरू, उदघाटन में जस्टिस डीएन पटेल ने कहा

मध्यस्थता मुकदमों में कमी लाने का बड़ा माध्यम

पांच दिवसीय प्रशिक्षण समारोह को संबोधित करते जस्टिस डीएन पटेल।

संवाददाता

रांची। झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष डीएन पटेल ने कहा कि किसी विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता सहज व सरल तरीका है। इससे जल्द व सस्ता न्याय मिलता है। अदालती चक्करों से छुटकारा मिलता है। यह मुकदमों में कमी लाने का एक सशक्त प्लेटफार्म भी है। मध्यस्थता में हार-जीत नहीं होती है, बल्कि आपसी सहमति से समझौते होते है और मामला निष्पादित हो जाता है। इससे दोनों पक्ष खुश रहता है। वह शनिवार को डोरंडा स्थित झालसा के न्याय सदन के सभागार में आयोजित 40 घंटे के मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जस्टिस पटेल ने कहा कि मध्यस्थता से मामलों को सुलझाने में काफी सफलता मिल रही है। पहले जहां 25-30 प्रतिशत मामलों में ही सफलता मिलती थी, वह आज बढ़ कर 51 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। मई माह तक इसे 60 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। झारखंड की यह सफलता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। धन्यवाद ज्ञापन झालसा के उप सचिव राजेश कुमार ने किया। रिसोर्स पर्सन के रूप में पटियाला हाउस कोर्ट के जज वीके गुप्ता व अधिवक्ता अनुपमा सी नारंग ने भाग लिया। मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम दो मार्च तक चलेगा। पूर्व मुख्य सचिव व अधिवक्ता डॉ. अशोक कुमार सिंह, हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी सहित समाज के प्रबुद्ध लोग भाग ले रहे है। प्रशिक्षण कार्यक्रम दो मार्च को समाप्त हो रहा है।

लोक अदालत में राज्य भर में 1782 मामलों का हुआ निष्पादन : झालसा समेत राज्य के सभी जिलों में आयोजित लोक अदालत में 1782 मामलों को एक दिन में सुलझाया गया। साथ ही 10.45 करोड़ रुपए से अधिक का सैटलमेंट किया गया। इसमें झालसा के 134 मामले में एक करोड़ 88 लाख से अधिक का सैटलमेंट भी शामिल है। इस मौके पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष व हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने कहा है कि लोक अदालत के फैसले पर किसी तरह की अपील का कोई प्रावधान नहीं है। कम समय में पार्टी को पूरा पैसा मिल जाता है। अनाश्वयक खर्च व समय दोनों की बचत होती है। लोक अदालत के माध्यम से झालसा ने काफी सफलता अर्जित की है। जस्टिस पटेल ने कहा कि डॉक्टरों की ओपीडी की तरह झालसा में भी सुविधा है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। लंबित मामलों में कमी लाने के लिए न्याय के वैकल्पिक रास्तों का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। जस्टिस पटेल झालसा के न्याय सदन में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में लोगों को चेक का वितरण भी किया। इस अवसर पर महाधिवक्ता बिनोद कुमार पोद्दार, अपर महाधिवक्ता एचके मेहता, भवेश कुमार, झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार, झारखंड हाइकोर्ट लीगल कमेटी के सचिव संतोष कुमार, उप-सचिव राजेश कुमार, अधिवक्ता जयशंकर त्रिपाठी, आशुतोष आनंद, अनुप अग्रवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

प्रभात खबर
रांची, रविवार
28.02.2016

जस्टिस डीएन पटेल ने कहा

लोक अदालत के फैसले पर कोई अपील नहीं

नेशनल लोक अदालत में लोगों के बीच चेक का वितरण भी किया गया.

रांची. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष व हाइकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस डीएन पटेल ने कहा है कि लोक अदालत के फैसले पर किसी तरह की अपील का कोई प्रावधान नहीं है. इसका सबसे अधिक लाभ यह है कि कम समय में पार्टी को पूरा पैसा मिल जाता है. अनावश्यक पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ते हैं. लोक अदालत के माध्यम से झालसा ने काफी सफलता अर्जित की है. जस्टिस पटेल ने झालसा के न्याय सदन में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में लोगों के बीच चेक का वितरण भी किया. इस अवसर पर महाधिवक्ता विनोद पोद्दार, अपर महाधिवक्ता एचके मेहता, झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार, सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे.

134 मामले निबटाये 1.88 करोड़ का भुगतान

झालसा में संपन्न लोक अदालत में 134 मामले निबटाये गये. इसके तहत लगभग 1.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वही राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1648 मामले निष्पादित किये गये, जबकि 85699100 रुपये का समझौता किया गया.

नेशनल लोक अदालत में 290 मामलों का निष्पादन

सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में शनिवार को 290 मामलों का निष्पादन हुआ. मामलों के निष्पदन से 2,16,76,658 रुपये का सेटलमेंट संबंधित पक्षों के बीच हुआ.

प्रभात खबर
रांची, रविवार
28.02.2016

मध्यस्थता में हार-जीत नहीं

- 40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

रांची. मध्यस्थता सहज व सरल तरीका है, इससे जल्द व सस्ता न्याय मिलता है. यह मुकदमों में कमी लाने का एक सशक्त प्लेटफार्म भी है. मध्यस्थता में हार-जीत नहीं होती है, बल्कि आपसी सहमति से समझौते होते है और मामला निष्पादित हो जाता है. उक्त बातें झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड हाइकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस डीएन पटेल ने कही. वे शनिवार को झालसा के न्याय सदन सभागार में आयोजित 40 घंटे के मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे. धन्यवाद ज्ञापन झालसा के उप सचिव राजेश कुमार ने किया. रिसोर्स पर्सन के रूप में पटियाला हाउस कोर्ट के जज वीके गुप्ता व अधिवक्ता अनुपमा सी नारंग ने भाग लिया. मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम दो मार्च तक चलेगा.

प्रभात खबर
रांची, रविवार
28.02.2016

न्यायिक संवर्द्धन कार्यक्रम. मानव तस्करी पर चीफ जस्टिस ने कहा

मिलजुल कर समस्या से पायें निजात

झारखंड ज्यूडिशियल एकेडेमी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम कार्यक्रम में चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने मानव तस्करी पर चिंता व्यक्त की . उन्होंने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग संगठित अपराध है . यह समस्या गंभीर होती जा रही है . ऐसा लगता है कि झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हब बनता जा रहा है . मानव तस्कर झारखंड को चरागाह की तरह समझते हैं . सभी के सहयोग व सक्रिय प्रयास से इस गंभीर समस्या से निजात पाना होगा .

वरीय संवाददाता ▸ रांची

झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग निष्क्रिय हो गया है. उसमें अध्यक्ष और सदस्यों के अधिकतर पद खाली हैं. अविलंब आयोग को क्रियाशील बनाया जाना चाहिए. उक्त बातें चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कही. वे शनिवार को बतौर मुख्य अतिथि धुर्वा डैम साइड स्थित डा एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में मानव तस्करी को लेकर आयोजित न्यायिक संवर्द्धन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. चीफ जस्टिस ने कहा कि भारतीय संविधान में संगठित अपराध पर रोक लगाने का प्रावधान पहले से ही किया गया है. निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा समिति गठित की गयी थी. इसकी रिपोर्ट आने के बाद पूर्व के प्रावधानों को और भी सख्त बनाया गया है. इन प्रावधानों को आज सही तरीके से लागू करने की जरूरत है. उन्होंने राज्य सरकार, मीडिया व न्यायपालिका की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया.

चीफ जस्टिस सिंह ने कहा कि कई ऐसे मामले भी उनके संज्ञान में आये है, जिनमें राज्य सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य व बच्चों के माता-पिता तक इस तरह के अपराध में शामिल हैं. ऐसे मामलों में कानून माता-पिता के खिलाफ भी कार्रवाई करने की इजाजत देता है. पुलिस को इस तरह के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने खूंटी से संबंधित एक मामले का उदाहरण देते हुए बताया कि एक आरोपी जिसे दिल्ली पुलिस व झारखंड पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया था. उसके पास करीब 65 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का पता चला था. उसने अब तक लगभग 3000 से अधिक महिलाओं को अपना निशाना बनाया है. चीफ जस्टिस ने राज्य पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान की प्रशंसा करते हुए कहा कि वापस लाये गये बच्चों के पुनर्वास की आवश्यकता है. सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है.

झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग को क्रियाशील बनायें

कार्यक्रम का उदघाटन करते जस्टिस वीरेंदर सिंह .

प्रावधान को सही तरीके से लागू करने की जरूरत

जस्टिस एस चंद्रशेखर ने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्राचीन काल से चला आ रहा है . इतिहास में भी इसका उदाहरण मिलता है . उस समय देवदासी, नगर वधु प्रथा के रूप में चलने का उदाहरण देखा जा सकता है . भारतीय कानून में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे संगठित अपराध को राकने के लिए प्रावधान तो मौजूद हैं, लेकिन वे सही तरीके से लागू नहीं हो पाये हैं . जरूरत है उसे सही तरीके से क्रियान्वित करने की .

एडीजी अनराग गुप्ता ने प्रजेंटेशन के माध्यम से कानून की बारीकी से व्याख्या की

एकेडेमी के निदेशक गौतम कुमार चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया . जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की . एडीजी अनुराग गुप्ता ने प्रजेंटेशन के माध्यम कानून की बारीकी से व्याख्या की . दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल, एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट मेलिता फर्नांडिस ने भी पेपर प्रस्तुत किये . वहीं, अंतिम सत्र में आइजी संपत मीणा (ऑरगेनाइज्ड क्राइम) ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने व पीड़ितों के पुनर्वास पर सरकार की भूमिका तथा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविकांत ने पीड़ितों की सुरक्षा, देखभाल व सहयोग पर प्रस्तुतीकरण दी . इस अवसर पर जस्टिस डीएन उपाध्याय, जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता, जस्टिस आरएन वर्मा, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, रजिस्ट्रार जनरल अनिल कुमार चौधरी, महाधिवक्ता विनोद पोद्दार, राजकीय अधिवक्ता राजेश शंकर, न्यायिक अधिकारी, विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे .

लोक अदालत में 1648 मामले निपटे

डोरंडा के न्याय सदन में शनिवार को लोक अदालत में एक महिला को चेक देते हुए।

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत शनिवार को पूरे राज्य में 1648 मामले निपटाए गए। इसके बीच 85, 6,99,100 रुपए का वितरण किया गया। बैंकिंग और चेक विवाद से संबंधित मामले इसमें थे।

झालसा में 54 ऐसे मामलों का निपटारा किया गया जो कोर्ट में लंबित थे। जबकि कोर्ट पहुंचने से पहले 79 मामले निपटाए गए। कोर्ट में लंबित मामलों में 75,01,468 रुपए का निपटारा किया गया। 79 मामले जिन्हें कोर्ट पहुंचने से पहले ही सलटाया गया उसमें 1,13,25,005 रुपए का विवाद था। कई लोगों को जस्टिस डीएन पटेल ने चेक भी वितरित किए।

मिला इंसाफ

- बैंकिंग और चेक विवाद से संबंधित थे मामले
- 85, 6,99,100 रुपए का वितरण किया

रांची जागरण
रांची, 28 फरवरी 2016

लोक अदालत में निपटे हजारों मामले

◆ न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने लाभुकों को दिया चेक

राज्य ब्यूरो, रांची : चेक बाउंस और रिकवरी सूट के मामलों से संबंधित लोक अदालत का आयोजन झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार में शनिवार को किया गया। इसमें कई मुकदमों का निष्पादन किया गया। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने पक्षकारों को समझौते के बाद चेक प्रदान किया। लोक अदालत में झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार एवं महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर राज्य भर की अदालतों में किया गया था। इसमें हजारों मामलों का निष्पादन किया गया।

लोक अदालत में लाभुक को चेक देते न्यायाधीश डीएन पटेल।

चालीस घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को चालीस घंटे का मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने किया। इसमें शहर के गण्यमान्य लोग, जिनमें प्रमुख रूप से सेवानिवृत्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, पत्रकार एवं शिक्षाविद सहित सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो मार्च तक चलेगा। इसमें इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार आपसी मुकदमों को बगैर न्यायालय गए सुलझाया जाए। मौके पर झालसा के सदस्य सचिव सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे।

413 मामलों का किया गया निष्पादन

जासं, रांची : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत व सामान्य लोक अदालत में 413 मामले निष्पादित किए गए। प्राधिकार के सचिव रजनीकांत पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय में 224 मामलों के निष्पादन में पक्षकारों को दो करोड़ छह लाख 57 हजार 658 रुपये दिया गया। वहीं सामान्य लोक अदालत में 189 मामलों के निष्पादन में 15 लाख 84 हजार 250 मामले निष्पादित किए गए। सामान्य लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए गठित सात बेंचों में फैमिली मैटर के एक, मोटरवाहन दुर्घटना से संबंधित दो, बिजली के 75, बीएसएनएल के 65, रेलवे 17, आपराधिक के 11 मामले निष्पादित किए गए। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित आठ बेंचों पर कोर्ट में लंबित 20 मामले निष्पादित किए गए। वहीं सर्टिफिकेट केस के 46, बैंक के 224 मामले निष्पादित किए गए।

दैनिक भास्कर | रांची, रविवार 28 फरवरी, 2016

सुनवाई | जस्टिस डीएन पटेल ने किया नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन, पीड़ितों को 8.59 करोड़ का भुगतान

लोक अदालत में 1648 मामलों का निष्पादन

सिटी रिपोर्टर | रांची

झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) की ओर से शनिवार को डोरंडा स्थित न्याय सदन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में आदलतें बैठीं। कुल 1648 मामलों का निष्पादन हुआ। न्याय सदन, डोरंडा में हाईकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने अदालत का उद्घाटन किया। इसमें 54 पोस्ट लिटिगेशन के मामलों का निष्पादन करते हुए पीड़ितों को 75.14 लाख रुपए दिए गए। वहीं, 79 प्री लिटिगेशन केस में 1.13 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से दिए गए। जस्टिस पटेल ने पीड़िता यशोदा देवी और बी कृष्णा बेनी को चेक सौंपा मौके पर एडवोकेट जनरल बिनोद पोद्दार, एडिशनल एडवोकेट जनरल एचके मेहता, एडवोकेट भावेश कुमार आदि मौजूद थे। लोक अदालतों के माध्यम से पूरे राज्य में वादों का निबटारा करते हुए पीड़ितों को कुल 8.59 करोड़ रुपए दिए गए।

पीड़ित को चेक सौंपते जस्टिस डीएन पटेल व अन्य।

40 घंटे का मेडिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

न्याय सदन में झालसा की ओर से मेडिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 40 घंटे तक चलेगा। इसमें लोगों को मेडिटेशन के माध्यम से स्वस्थ और तनाव रहित जीवन की कला सिखाई जाएगी। प्रशिक्षण प्रोग्राम का उद्घाटन जस्टिस डीएन पटेल ने किया। इस प्रोग्राम में मास्टर ट्रेनर दिल्ली मेडिटेशन सेंटर पटियाला हाउस कोर्ट के एसजे जज इंचार्ज विनय कुमार गुप्ता, कड़कड़डूमा कोर्ट के एडवोकेट ट्रेनर अनुपमा सी नारंग, लोकल ट्रेनर मनीषा रानी, मधुसूदन गांगुली और एलके गिरि प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेडिटेशन प्रोग्राम में आईएएस ऑफिसर, रिटायर अधिकारी, प्रोफेसर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशिक्षण ले रहे हैं। स्वागत भाषण झालसा के मेंबर सेक्रेटरी नवनीत कुमार ने दिया।

hindustantimes
SUNDAY HINDUSTAN TIMES, RANCHI
FEBRUARY 28, 2016

Laws have to be strictly enforced to check human trafficking: Chief justice

HT Correspondent
htjharkhand@hindustantimes.com

RANCHI: Jharkhand chief justice Virender Singh on Saturday, at a seminar on human trafficking at the Judicial Academy in Dhurwa, said he had come across cases where state officials, members of child welfare committee and parents were involved in human trafficking.

"There is already a law to prevent such crimes. The laws have to be strictly enforced to check human trafficking," Singh said adding that after the 'Nirbhaya' incident, the laws have been made stringent.

The seminar was attended by judges and members of the Jharkhand High Court and by chairperson of Delhi Commission for Women Swati Maliwal.

"There should be a robust drive against human trafficking where the role of the courts, state and media is important," said Singh praising Jharkhand government's 'Operation Muskaan.'

The operation is a child rescue campaign run under which over 1,000 children have been rescued from human trafficking and child labour.

MEDIATION WORKSHOP BY JHALSA

The Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) on Saturday started its five-day '40 hours Mediation Training Programme'. The programme will continue till Wednesday for experts, professionals, retired senior bureaucrats and retired senior executives at Nyaya Sadan in Doranda.

The programme was inaugurated by Justice DN Patel, Judge at Jharkhand High Court. He also inaugurated the National Lok Adalat on bank matters.

In the National Lok Adalat, as many as 54 post litigation cases were disposed of and an amount of ₹75.01 lakh was settled. Around 79 pre-litigation matters were also disposed of and an amount of ₹1.13 crore was settled, said JHALSA officials.

"The success rate in the field of mediation is crossing 50% in Jharkhand and there is no doubt that with enrichment of the pool of mediators, the rate will cross 60%," Patel said.

सन्मार्ग
रांची, रविवार, 28 फरवरी 2016

नेशनल लोक अदालत में 1648 मामलों का निष्पादन

संवाददाता

रांची : नेशनल लोक अदालत में पूरे झारखंड में 1648 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें आठ करोड़ 56 लाख 99 हजार 100 रुपये का सेटलमेंट हुआ। नेशनल लोक अदालत में बैंकों से संबंधित वादों का निपटारा किया गया। डोरंडा स्थित झालसा में लगे नेशनल लोक अदालत में पोस्ट लिटिगेशन के 54 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 75 लाख 1468 रुपये का सेटलमेंट हुआ। वहीं प्री लिटिगेशन के 79 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें एक करोड़ 13 लाख 25 हजार रुपये का सेटलमेंट हुआ। न्याय सदन में लगे नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत से मामलों के त्वरित निष्पादन में सहायता मिलती है। लोगों को इससे काफी फायदे हो रहे हैं। महिलाओं व बुजुर्गों को अदालतों में चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, अदालत में मुकदमे से पहले लोक अदालतों में उनके वादों का निपटारा हो जाता है। जस्टिस पटेल ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोक अदालतों के माध्यम से अपने वादों को निपटारे के लिए आगे आने का आह्वान किया। इधर, रांची सिविल कोर्ट परिसर में लगे नेशनल लोक अदालत में 279 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें दो करोड़ 16 लाख 76 हजार 658 रुपये का सेटलमेंट हुआ। प्री लिटिगेशन के कुल 66 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 10 लाख 19 हजार रुपये का सेटलमेंट हुआ। इनमें बैंकों से संबंधित एनआइ एक्ट के 20 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 10 लाख 19 हजार रुपये का सेटलमेंट हुआ। सर्टिफिकेट केस के 46 मामलों का निष्पादन हुआ। इसके अलावे सिविल कोर्ट परिसर में लगे मासिक लोक अदालत में 101 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 101 लोग लाभान्वित हुए और चार लाख चार हजार 250 रुपये के राजस्व की वसूली हुई। डालसा सचिव रजनीकांत पाठक ने शनिवार के नेशनल लोक अदालत को सफल बताते हुए कहा कि सिविल कोर्ट परिसर में सुबह साढ़े 10 बजे से नेशनल लोक अदालत शुरू हुई, जिसमें वादों के निपटारे के लिए आठ बेंच बनाये गये थे। उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लोक भाग लें। इधर न्याय सदन परिसर में 40 घंटे मेडियेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने किया। इस मेडियेशन प्रोग्राम में 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

आठ करोड़ 56 लाख की हुई वसूली